तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/300/वि.कार्य/2018–19/ 15756 दिनाँक – 21/08/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 03 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 03, जो कि दिनाँक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्याः डी.ई.–25 (13)/300/वि.कार्य/2018–19/ 15757-16 दिनाँक – 21/08/19
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

तारांकित प्रश्न संख्या :– 03

दिनाँक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री आदर्श शास्त्री

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>क्या दिल्ली सरकार एवं एमसीडी के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए सी.टी.ई.टी. की परीक्षा पास करनी अनिवार्य है।</td><td>जी हाँ।</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>यदि हाँ तो क्या इस अनिवार्यता को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है।</td><td>जी नहीं।</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।</td><td>स्पेशल एजुकेटर का कार्य दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना भी है। अतः अधिसूचित भर्ती नियम, 2012 के अनुसार सी.टी.ई.टी. की परीक्षा पास करना अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स की स्वीकृत संख्या क्या हैं।</td><td>एम.सी.डी. स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर्स की स्वीकृत संख्या 1667 है तथा दिल्ली सरकार के स्कूलों में इनकी स्वीकृत संख्या 2058 है।</td></tr>
<tr><td>ड0)</td><td>क्या यह सत्य है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पेशल एजुकेटर के 1080 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की है, और</td><td>जी हाँ।
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>पद का नाम</th><th>पदों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>विशेष शिक्षा अध्यापक</td><td>724</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पी.जी.टी. (विशेष शिक्षा अध्यापक)</td><td>300</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ससाधन केन्द्र समन्वयक</td><td>12</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पर्यवेक्षक (सम्मिलित शिक्षा क्षेत्र)</td><td>29</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>पर्यवेक्षक (सम्मिलित शिक्षा जिला)</td><td>12</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सहायक निदेशक (सम्मिलित शिक्षा)</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>1080</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>च)</td><td>यदि हाँ, तो इन पदों पर भर्तियों की क्या स्थिति है?</td><td>उपरोक्त उत्तर संख्या ड0 में दी गई सूची के अनुसार, क्रम संख्या 1 के 724 पदों हेतु दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को माँग प्रेषित की जा चुकी है जो कि पद कोड 87/17 में जोड़ी जा चुकी है। तद्नुसार पदों की कुल संख्या 605+724 = 1329 हो चुकी है, जिनमे से 280 डोज़ियर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त हो चुके है, जिनमें से 238 अभ्यर्थीयों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है तथा शेष प्रक्रियारत है। उत्तर संख्या ड0 में दी गई सूची के पद सख्या 2, 3, 4, 5 व 6 के भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए इन पदों हेतु भर्ती से संबंधित कार्य भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही शुरू किया जाएगा।</td></tr>
</table>

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner

विशिष्ट शिक्षा अध्यापकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. विद्यालय-प्रमुख की देखरेख में दिव्यांग छात्रों और अन्य विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए और उनके साथ कार्य करना;
2. विद्यालय-प्रमुख और विषय शिक्षक के परामर्श से, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में इन दिव्यांग-छात्रों के लिए दैनिक समय-सारणी का विभाजन करना;
3. समावेशी शिक्षा शाखा (IEB) के जिला स्तर की इकाई के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दिव्यांग छात्रों के आंकड़ों का संग्रह और अद्यतनीकरण करना;
4. सभी दिव्यांग छात्रों के व्यवस्थित रिकॉर्ड को बनाए रखना, जिसमें उनके मेडिकल प्रमाण पत्र की एक प्रति शामिल है, उनसे संबंधित आदेश/परिपत्र और उन छात्रों को प्रदान की गई सहायता और उपकरणों के रिकॉर्ड;
5. दिव्यांग छात्रों की व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) तैयार करना ताकि उस छात्र की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जा सके;
6. साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा योजना (IEP) की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए और HOS, अभिभावक और विषय शिक्षक को सूचित करना।
7. सीबीएसई दिशानिर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संशोधनों के बारे में जागरूकता पैदा करना;
8. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन करने में मदद करना ;
9. दिव्यांग छात्रों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) तैयार करना;
10. दिव्यांग छात्रों की केस-स्टडी का अध्ययन और उसी का निरंतर रूप से अनुवर्तन करना;
11. विद्यालय में लगाई जाने वाली प्रदर्शन-सामग्री को तैयार करना ;
12. जिला-समन्वयकों (IE) के साथ बैठकों में परियोजनाओं/नवीन विचारों का प्रस्तुतीकरण करना;
13. दिव्यांग छात्रों के माता-पिता से नियमित बातचीत /परामर्श और उस का रिकॉर्ड बनाए रखना;
14. दिव्यांग छात्रों के सभी गतिविधियों उदाहरणतः शैक्षणिक/सह-पाठ्यक्रम/खेल/योग की देखरेख/समन्वय करना ;
15. अपने आत्म-सम्मान को बढ़ाने के लिए दिव्यांग छात्रों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना;
16. मूल्यांकन टीम की आवश्यकताओं/सिफारिशों के अनुसार सहायक उपकरण, भत्ते/वित्तीय सहायता का प्रावधान;
17. विद्यालय प्रमुख के परामर्श से इन दिव्यांग छात्रों के लिए (ज़रूरत अनुसार) लिपिक की व्यवस्था करना;
18. दिव्यांग छात्रों और उनके सहकर्मी समूह के बीच एक सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करना और प्रभावी समावेश के लिए मित्र-प्रणाली का निर्माण करना;
19. विद्यालय में दिव्यांग छात्रों हेतु संसाधन-कक्ष स्थापित करना;
20. विभिन्न हितधारकों जैसे की संबंधित शिक्षक, सहकर्मी समूह, प्रशासन, अन्य स्टाफ सदस्य एवं समुदाय के बीच दिव्यांगों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना,
21. इन दिव्यांग छात्रों के पूर्ण समावेशन हेतु मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए मनोदृष्टि आधारित परिवर्तन लाने के लिए नाना प्रकार की गतिविधियां आयोजित करना;
22. जब भी आवश्यक हो, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य तरीकों से मदद करने के लिए मूल्यांकन टीम में भाग लेना;
23. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के संबंध में समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों को पूरा करना ;
24. उप-शिक्षा निदेशक (समावेशी शिक्षा शाखा) और विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य।

डॉ मुकेश चंद
उप-शिक्षा निदेशक (समावेशी शिक्षा शाखा)

Scanned by CamScanner